[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–12 एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 26 जून, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 329 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 329 की उप–धारा (1) का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के विविनियमन प्रकोष्ठ (Deregulation Cell) द्वारा दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा बूचड़खानों (Slaughter-houses) एवं मांस की दुकानों (Meat Shops) के लिए व्यापार लाइसेंस (Trade License) की अनिवार्यता को हटाने हेतू समीक्षा तथा विचार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा को निर्देश दिया।

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रकार के व्यापार/गतिविधियों को हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food & Drugs Administration, Haryana) द्वारा भी विनियमित किया जा रहा है। उक्त संशोधनों से दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त होगी तथा अनुपालन के बोझ को कम करके आम जनता को राहत देगा, साथ ही, इसे 30 जून, 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अतः हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 22.06.2026 को पारित किया गया तथा इसे दिनांक 26.06.2026 को प्रकाशित किया गया।

3. अतः हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करना आवश्यक है, जिसके लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 20 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, आई.ए.एस.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 से उद्धरण

329. (1) कोई भी व्यक्ति, आयुक्त से अनुज्ञप्ति के बिना अथवा के अनुसार से अन्यथा एक बूचड़, मत्स्य व्यापारी, मुर्गी विक्रेता अथवा मानव भोजन के लिए आशयित मांस के आयातकर्ता का व्यापार नहीं चलाएगा अथवा किसी स्थान को, मानव भोजन के लिए आशयित मांस, मछली अथवा मुर्गों की बिक्री के लिए उपयोग नहीं करेगा:

परन्तु वायुरूद्ध अथवा दृढ़ता से बन्द किए गए आधानों में परिरक्षित मांस या मछली के विक्रय के लिए अथवा विक्रय के लिए भण्डारण के लिए उपयोग किए गए किसी स्थान के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

12798—H.V.S.—H.G.P., Pkl.